


राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.20(आई-12)/आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/12-13/7573-81 दिनांक : 17/10/12

संशोधन


इस विभाग के पत्र क्रमांक 2847-3107 दिनांक 11.6.2012 के द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना हेतु स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में जारी संशोधित स्वीकृति में जोधपुर आईडब्ल्यूएमपी 10 के अन्तर्गत सही लागत अंकित नहीं होने के कारण भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक K-11013/3/2009 /IWMP दिनांक 13.11.2009 व तत्पश्चात् निदेशालय द्वारा जारी पत्रांक F18(199) नि.ज.भूस /पी.एफ.सी/2009-10/2761-2835 दिनांक 4/1/2010 के अनुसार परियोजना की लागत 450 लाख के स्थान पर 540 लाख पढा जाये ।


अतिरिक्त निदेशक-II

क्रमांक:एफ.20(आई-12)/आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/12-13/7573-81 दिनांक : 17/10/12

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, ब्लॉक -11 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, डब्ल्यू. सी.डी.सी. जोधपुर।
7. लेखाधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
8. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, भोपालगढ़, जोधपुर।
9. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।


अतिरिक्त निदेशक-II